उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि शुरू

- ठग साधुओं पर कार्रवाई को मुख्यमंत्री सख्त
- आस्था की आड़ में ठगी पर धामी का बड़ा एक्शन
- सोशल मीडिया पर सीएम ने जताई कड़ी

देहरादून, 10 जुलाई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य में अनेक नए नियम और अभियान शुरू कर, देश भर में एक नई परम्परा शुरू करने की कवायद की है. इसी क्रम में, गुरुवार को उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमि शुरू करने के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

धामी ने कहा कि प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां असामाजिक तत्व साधु-संतों का भेष धारण कर लोगों, विशेषकर महिलाओं को ठगने का कार्य कर रहे हैं. इससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द और सनातन परंपरा की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में किसी भी धर्म का व्यक्ति यदि ऐसे कृत्य करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.सोशल मीडिया फेसबुक पर धामी ने लिखा,जिस प्रकार असुर कालनेमि ने साधु का भेष धारण कर भ्रमित करने का प्रयास किया था. वैसे ही आज समाज में कई 'कालनेमि' सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं. हमारी सरकार जनभावनाओं, सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.उल्लेखनीय है कि धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, नशा मुक्त देवभूमि जैसे नियम और अभियान शुरू कर एक नई इबारत लिखने का काम किया है जो अपने आप में एक नई मिसाल है.

धामी ने कहा कि वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार को 3 .5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. इनमें से एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के प्रति निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है.उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा और राज्य की आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सजगता और समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएं, जिससे राज्य की सकारात्मक छवि को देश-दुनिया के समक्ष सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जा सके.

धामी ने गुरुवार को अपने आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित एक लाख करोड़ रूपये की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सफल आयोजन के लिए तैयारियाँ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए.

पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करूंगा : सिद्धारमैया

नई दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कहा कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार इस समय दिल्ली में हैं. दोनों की लोकसभा में नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होनी है.शिवकुमार दिल्ली में ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से बुधवार को मुलाकात कर चुके हैं. सिद्धारमैया ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वेकैंसी नहीं है और वह अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि इन रिपोर्टों में कोई दम नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे मुख्यमंत्री पद छोड़ने को कहा है. उन्होने कहा कि डी के शिवकुमार खुद भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे -आधे कार्यकाल का कोई फार्मूला नहीं है. आलाकमान जो भी फैसला करेगी हम उसे मानेंगे.

कांग्रेस विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी

बेंगलुरु, 10 जुलाई. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कर्नाटक कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की.आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छापेमारी बेंगलुरु में कम से कम पांच ठिकानों पर की गई, जिनमें रेड्डी का आवास और उनसे जुड़े अन्य ठिकाने भी शामिल हैं.

रेड्डी चिक्कबल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं.ईडी छापेमारी का कारण श्री रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक अघोषित विदेशी संपत्तियाँ हैं, जिनमें विदेशी बैंक खातों में संदिग्ध जमा राशि और मलेशिया तथा जर्मनी जैसे देशों में अचल संपत्तियों और वाहनों में निवेश शामिल हैं.

भागलपुर में प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू

बिहार के उप मुख्यमंत्री चौधरी करेंगे श्रावणी मेले का उद्घाटन

गंगा घाटों और कांवरिया मार्ग को

भागलपुर,10 जुलाई. बिहार में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एक महीने तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आज शुरू . भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को यहां बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी श्रावणी मेला का उद्घाटन करेंगे. उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रुप में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री, सांसद , विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहेंगे.

चौधरी ने बताया कि इस मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस दौरान आने वाले लाखों कांवरियों को बेहतर सुविधा मुहैय्या कराने के सारे इंतजाम किये गए हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न गंगा घाटों और कांवरिया मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया है. इसके अलावे सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में बिजली पानी, सफाई, चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है.डॉ.चौधरी ने बताया कि इस मेले में बड़ी संख्या में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी विद्यालयों, और धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था की गई है, जबकि कांवरिया मार्ग पर विभिन्न जगहों पर अस्थाई विश्राम घर का निर्माण कराया गया है. वहां पर बिजली, पानी, सफाई और स्वास्थ सेवा की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसकी देखरेख के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं.

बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद में कर रही सेना

- मंडी, थुनाग, पंडोह में सेना की टुकड़ियाँ तैनात
- दुर्गम गांवों में पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

ऑपरेशन जल राहत-दो के तहत पूर्वोत्तर में मोर्चा

नयी दिल्ली 10 जुलाई.भारतीय सेना बाढ़ से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान में नागरिक प्रशासन की मदद कर रही है.सेना की ओर से गुरूवार को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हाल ही में आई बाढ़ के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे राहत और बचाव अभियान में सेना की टुकड़ियां राज्य आपदा मोचन बल , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और स्थानीय अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर मदद कर रही हैं.सेना ने थुनाग, बग्सियाड और पंडोह सहित प्रमुख स्थानों पर टुकड़ियाँ तैनात की हैं जो आवश्यक आपूर्ति जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण पहुंच मार्गों को खोल रही है.

बाढ़ से बेहाल पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी सेना ने ऑपरेशन जल राहत- दो के तहत नागालैंड, असम और मणिपुर में व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है. सेना ने इस अभियान के लिए कुल 40 राहत टुकड़ियां तैनात की हैं. इस अभियान में अब तक 3820 लोगों को बचाया गया है और भोजन के 1361 पैकेट वितरित किये गये हैं .सेना की ओर से 2095 लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है और 15 हजार से अधिक पानी की बोतलें वितरित की गयी हैं .सेना ने कहा है कि वह प्राकृतिक आपदा के समय संकट में फंसे लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता पर अडिग है.

आज का इतिहास

1948 येरूशलम पर पहला हवाई हमला.

1957 इस्लामी धार्मिक नेता और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य आगा खां का निधन.

1971 चिली की तांबे की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया.

भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज़ बोर्ड

RESERVE BANK OF INDIA SERVICES BOARD

भारतीय रिज़र्व बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती

विज्ञापन संख्या RBISB/BA/02/2025-26

पैनल वर्ष - 2024 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) में निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र.सं.	पद	रिक्तियां
1	ग्रेड 'बी' में विधि अधिकारी	05
2	ग्रेड 'बी' में प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)	06
3	ग्रेड 'बी' में प्रबंधक (तकनीकी-इलेक्ट्रिकल)	04
4	ग्रेड 'ए' में सहायक प्रबंधक (राजभाषा)	03
5	ग्रेड 'ए' में सहायक प्रबंधक (शिष्टाचार एवं सुरक्षा)	10
	कुल	28

2. पात्रता मानदंड, रिक्तियों के आरक्षण, चयन योजना, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अन्य अनुदेशों जैसे अन्य सभी ब्योरों के लिए, कृपया **11 जुलाई 2025** को बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) पर और एम्पलॉयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार के दिनांक **19 जुलाई 2025 के अंक/अनुवर्ती अंक** में प्रकाशित किए जाने वाले विस्तृत विज्ञापन को देखें। उपरोक्त पदों के लिए उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

3. महत्वपूर्ण तिथियां:

आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार के भुगतान के लिए वेबसाइट का लिंक खुला रहेगा	11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 (शाम 06 बजे तक)
ऑनलाइन / लिखित परीक्षा	16 अगस्त 2025

टिप्पणी: उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट (**www.rbi.org.in**) पर प्रकाशित किया जाएगा।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई - 400013. संपर्क (022) 66069383
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रत्यावर्तन) नियम, 2002(''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूति हित प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के अधीन

जैसा कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (टीसीएचएफएल) के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए विवरण अनुसार इसमें सूचीबद्ध कर्जदारों/ सह कर्जदारों/गारंटरों (सभी को अकेले या एक साथ ''बाध्यताधारी'' कहा गया है) /कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित नोटिसों की तिथियों से 60 दिन के अंदर मांग सूचना मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की अपील करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन विस्तृत मांग सूचना दिनांक जारी किए गए थे. कथित सूचना की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा तामील की गई हैं और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और यदि कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि चाहें तो किसी भी कार्यालयीन दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते है।
उपर्युक्त संबंध में एतद द्वारा कथित बाध्यताधारियों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार पुन: सुचित किया जाता है कि कथित बाध्यताधारियों द्वारा निष्पादित ऋण के करार एवं अन्य दस्तावेजों /विलेखों के साथ पठित नीचे कॉलम (डी) में संबंधित तिथि से भुगतान और/या वसुली की तिथि तक आगामी ब्याज सहित इसमें उनके संबंधित नामों के समक्ष निर्दिष्ट राशि संबंधित सूचना की तिथियों से 60 दिन के अंदर टीसीएचएफएल को भुगतान करें. कथित बाध्यताधारियों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षित आस्तियां कर्ज के देय भुगतान की सुरक्षा के रूप में टीसीएचएफएल के लिए गिरवी रखी गई है।

क्र.	ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारियों/ कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	कुल बकाया देय (रु.) निम्नलिखित दिनांक तक	डिमांड नोटिस की तिथि एवं एनपीए की तिथि
1	TCHHL0097000100329815 एवं TCHIN0097000100331549	श्री कमलेश जाट (ऋणी) श्रीमती ज्योति जाट (सह ऋणी)	रू. 16,66,713/- एवं रू. 1,89,218/-	03-07-2025 एवं 02-07-2025

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 25 का संपूर्ण भाग, वार्ड नं. 04, डायमंड पार्क नगर परिषद राजगढ़ तहसील सरदारपुर जिला धार म.प्र. स्थित अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल - माप 1000 वर्गफीट यानी (92.936 वर्ग मीटर)
चर्तुसीमाएँ : उत्तर: प्लॉट नं. 24, दक्षिण: प्लॉट नं. 26, पूर्व : प्लॉट नं. 08, पश्चिम: कॉमन रोड़

*संबंधित मांग सूचना दिनांक में विशेष रुप से निदिष्ट दर पर आगामी ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अदायगी और/या वसूली की तिथि तक उठाया गया आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क इत्यादि. यदि जैसा की ऊपर कहा गया है कथित बाध्यताधारी टीसीएचएफएल को भुगतान नहीं करेंगे तो टीसीएचएफएल खर्च एवं परिणाम के रुप में पूरी तरह से कथित बाध्यताधारियों/कानूनी वारिसों/ कानूनी प्रतिनिधियों के जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपर्युक्त सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों के लिए कार्यवाही करेगा। कथित बाध्यताधारी/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्तसुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियो को बिक्री, पट्टा या अन्य किसी भी रुप में हस्तांतरित करने के लिए कथित अधिनियम के अधीन प्रतिबंधित हैं। अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन बने नियमों का उल्लंघन या उल्लंघन करने के लिए उकसाने वाला व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित सजा और/या दंड का पात्र होगा।

हस्ता./-
दिनांक : 11-07-2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : धार **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600 032

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा और प्रतिभूति हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को, जिनके नाम कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तारीखों पर नीचे कॉलम [डी] में इंगित बकाया राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा आज 09 जुलाई 2025 को ले लिया है।
उधारकर्ता/सह-उधारकताओं का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
विशेष रूप से उधारकताओं और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [ई] में उल्लिखित संपत्तियों का लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड [डी] में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा।

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या TL01IND00000039048 1. मेसर्स अंश ट्रेडर्स, 2. श्री अजय अग्रवाल और 3. श्रीमती संध्या अग्रवाल	15.04.2025	15.04.2025 को ब्याज सहित 1,53,92,215/- रुपये।	प्रकोष्ठ क्रमांक 201, द्वितीय तल, विमल प्लाजा, 9, (पुराना क्रमांक 8/2) इमली बाजार, सर सिरेमल भापना मार्ग, इंदौर (मध्य प्रदेश 452007) में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 910 वर्ग फुट (84.54 वर्ग मीटर) है, तथा जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः सीढ़ियों के बाद लिफ्ट, उत्तरः प्रकोष्ठ क्रमांक 202 और 203, दक्षिणः दोलतरामजी का मकान।	09.07.2025

दिनांक: 11.07.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: इंदौर **चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएचएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को, एतद्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **"SMHFC"** के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैनः- 601638011177919 1. दुर्गेश यादव 2. राजू बाई	मकान संख्या 103, सलीमर रेजीडेंसी, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील महू, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 454776, 420 वर्ग फुट यानी 39.03 वर्ग मीटर का वह पूरा टुकड़ा, जो पूर्व में कॉलोनी प्लॉट संख्या 102, पश्चिम में कॉलोनी रोड, उत्तर में कॉलोनी रोड, दक्षिण में कॉलोनी की चारदीवारी से घिरा है।	17.04.2025 ₹ 8,25,949.69 (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार नौ सौ उनचास उनत्तर पैसे केवल) 12.04.2025 तक	08.07.2025

एसडी/-
स्थान : इन्दौर, मध्य प्रदेश **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक : 08.07.2025 **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।**

TATA टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी है'** आधार पर दिनांक **29-07-2025** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **29-07-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **28-07-2025** को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	TCHHL0284000100305203 & TCHIN0284000100306332	श्री अंकित जाट श्री राहूल जाट	**रू. 17,19,072/-** (रुपये सत्रह लाख उन्नीस हजार बहोत्तर रूपये मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 53,819/-** (रुपये तिरेपन हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की राशि अनुबंध क्र. TCHIN0284000100306332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू.17,72,891/-** (रुपये सत्रह लाख बहत्तर हजार आठ सौ इंक्यान्वे मात्र) **20-12-2024**	**रू. 31,90,000/-** (रुपये इक्तीस लाख नब्बे हजार मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 3,19,000/-** (रुपये तीन लाख उन्नीस हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 17,92,894/-** (रुपये सत्रह लाख बयान्वे हजार आठ सौ चौरान्वे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं **रू. 58,654/-** (रुपये अठ्ठावन हजार छः सौ चौपन मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100306332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं कुल बकाया **रू. 18,51,548/-** (रुपये अठारह लाख इक्कावन हजार पाँच सौ अड़तालीस मात्र) **04-07-2025**
	अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट क्रमांक 28, सिमरोल टाउनशिप तहसील महू जिला इंदौर (म.प्र.) की अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, माप क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट अर्थात (102.23 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमा :** पूर्व : रोड, पश्चिम : प्लॉट क्रमांक 11, उत्तर : प्लॉट क्रमांक 27, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 29				
2	TCHHF0284000100235796 & 9724865 & 9797175	श्रीमती ललिता निगम (सह-ऋणी) स्व. श्री अनिल निगम (ऋणी) की पत्नी एवं कानूनी वारिस श्रीमती ललिता निगम	**रू. 8,64,221/-** (रुपये आठ लाख चौसठ हजार दो सौ इक्कीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100235796 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 87,459/-** (रूपये सित्यासी हजार चार सौ उनसाहठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9797175 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 7,15,521/-** (रूपये सात लाख पन्द्रह हजार पांच सौ इक्कीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9724865 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 16,67,201/-** (रूपये सोलह लाख सढ़सठ हजार दो सौ एक मात्र) **13-04-2024**	**रू. 19,90,000/-** (रुपये उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 1,99,000/-** (रुपये एक लाख निन्यान्वे हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 10,46,261/-** (रूपये दस लाख छियालिस हजार दो सौ इकसठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100235796 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 1,13,283/-** (रूपये एक लाख तेरह हजार दो सौ त्रेयासी मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9797175 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 9,05,868/-** (रुपये नौ लाख पांच हजार आठ सौ अड़सठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9724865 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 20,65,412/-** (रूपये बीस लाख पैसठ हजार चार सौ बारह मात्र) **04-07-2025**
	अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 325-ए, सिल्वर पार्क कॉलोनी, ग्राम सुखलिया, क्षिप्रा पटवारी हल्का नं. 26 (नया 55), तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.) क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट। **चर्तुसीमा** : पूर्व : प्लॉट नं. 312-ए, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट नं. 325, दक्षिण: प्लॉट नं. 325-बी.				
3	10179825 & TCHIN0284000100255572	श्री कृष्णराव देशमुख श्रीमती सयाबाई नामदेव देशमुख	**रू. 6,31,718/-** (रुपये छः लाख इकतीस हजार सात सौ अठारह मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 10179825 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 4,67,099/-** (रुपये चार लाख सढ़सठ हजार निन्यान्वे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100255572 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 10,98,817/-**(रूपये दस लाख अंठान्वे हजार आठ सौ सत्रह मात्र) **15-05-2024**	**रू. 14,60,000/** (रुपये चौदह लाख साठ हजार मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 1,46,000 /-** (रुपये एक लाख छियालीस हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 8,04,618/-** (रूपये आठ लाख चार हजार छः सौ अठारह मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 10179825 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 5,59,517/-** (रूपये पांच लाख उनसाठ हजार पाँच सौ सत्रह मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100255572 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 13,64,135/-** (रूपये तेरह लाख चौसठ हजार एक सौ पैंतिस मात्र) **04-07-2025**
	अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण क्षेत्र प्लॉट क्रमांक ए-41 का दक्षिणी भाग, ''प्रभातम ऑयस्टर सिटी'' भूमि सर्वे नं. 50/1, 51/1 एवं 51/2, ग्राम कालीबिल्लोद तहसील देपालपुर जिला इंदौर, माप क्षेत्र 491.945 वर्ग फीट, **सीमाएं:** पूर्व : प्लॉट नं. ए-30, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण: प्लॉट नं. ए-42				

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com के माध्यम से दिनांक 29-07-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। **2**. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। **3**. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र) 4**. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5**. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। **6**. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। **7**. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **21-07-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। **8**. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। **9**. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। **10**. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। **11**. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com/support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें। 13.** उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। **14**. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/oxsvev** का संदर्भ लें। **15**. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : इन्दौर **ह/- (प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांक : 11-07-2025 **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.**